

01/2025/24

नर 1637

2518957/18/3/2025

परिशिष्ट - 4

प्रश्न सं. [क. 1637]

07/01/2025

श्री कौर नंदा भा. प्र. से.

पचिव

Manmeet Kaur Nanda, IAS
Joint Secretary



आजादी
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

D.O. No. 16-4/2023-SIPDA (E.26480)

Dated : 24th Dec 2024

Dear Ms Sonali,

Department of Empowerment of Persons with Disabilities under Central Sector scheme of Implementation of Right of Persons with Disabilities Act (SIPDA), runs a sub-scheme of Barrier Free Environment by providing financial assistance to interested State Governments/UTs/other organizations for undertaking various activities outlined in the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016.

2. As part of our commitment to fostering inclusive and accessible public spaces, a sensory park has been found to provide a good learning as well as educative experience for children with disabilities. It creates an environment designed to engage children and others through various sensory experiences, with sensory processing challenges. Such sensory parks also serve as an inclusive community space promoting well-being and social connections. In this regard, the State can send a **proposal for development of sensory park at Sagar, Madhya Pradesh under SIPDA scheme and the same can be examined by the department and forwarded to the us if deemed fit with relevant available land.**

3. The comprehensive proposal may include the following:

- I) Design and conceptual plans for the sensory park.
- II) A detailed project timeline and key milestones.
- III) Preliminary cost estimates duly signed with Executive Engineer of Works Department and a breakdown of resources required.
- IV) Sustainability and accessibility considerations especially for all types of Persons with Disabilities.
- V) Pending Utilizations certificate against earlier releases to the State Government under SIPDA scheme so far.

Please ensure that your proposal highlights innovative features, use of eco-friendly materials, and adherence to relevant safety standards along with encumbrance free land.

With Regards,

Yours Sincerely

Manmeet K. Nanda

(Manmeet K. Nanda)

Smt. Sonali PonksheVayangankar,
Principal Secretary to the Govt. of Madhya Pradesh.
Room Number F004, Ground Floor, Vallabh Bhawan-462004,
Madhya Pradesh

Copy to: The District Collector of Sagar, Madhya Pradesh with request to take necessary action in the matter as per scheme guidelines

3
10

क्रमांक/दि.सश.-2/एफ-191/2024-25/10
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02/01/2025

कलेक्टर,
जिला सागर,
मध्यप्रदेश।

विषय:-

दिव्यांगजन पार्क बनाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक/नि.क./2024-25/1516 दिनांक 02.12.2024

-----*

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सागर जिला अंतर्गत नगर पालिका निगम क्षेत्र में दिव्यांगजनों की सुविधा एवं मनोरंजन को दृष्टिगत रखते हुये, दिव्यांगजन पार्क बनाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली के संलग्न पत्र क्रमांक 16-4/2023-SIPDA(E-26480) दिनांक 24.12.2024 के माध्यम से जिला सागर में सेन्सरी पार्क के निर्माण कार्य हेतु बिन्दु क्रमांक 1 से 5 तक की जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त के संबंध में लेख है कि बिन्दु क्रमांक 1 से 4 तक की जानकारी आपसे संबंधित है।

अतः उक्त जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे जानकारी शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार



(डॉ. राम राव भोंसले)

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/दि.सश.-2/एफ-191/2024-25/11

भोपाल दिनांक 02/01/2025

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

क्रमांक/दि.सश.-2/एफ-191/2024-25/154
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/01/2025

कलेक्टर,
जिला सागर,
मध्यप्रदेश।

विषय:-

दिव्यांगजन पार्क बनाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रमांक/नि.क./2024-25/1516 दिनांक 02.12.2024
2. संचालनालय पत्र क्रमांक 10 दिनांक 02.01.2025

-----*

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सागर जिला अंतर्गत नगर पालिका निगम क्षेत्र में दिव्यांगजनों की सुविधा एवं मनोरंजन को दृष्टिगत रखते हुये, दिव्यांगजन पार्क बनाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का लेख किया गया है। उपरोक्त के संबंध में संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली के जिला सागर में सेन्सरी पार्क के निर्माण कार्य हेतु बिन्दु क्रमांक 1 से 4 तक की जानकारी चाही गई है। संदर्भ क्रमांक 2 के माध्यम जानकारी आपके जिले से संबंधित होने से पत्र लेख किया गया था उक्त जानकारी जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः उक्त जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे। जिससे जानकारी शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।


(डॉ. राम राव भोंसले)

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/दि.सश.-2/एफ-191/2024-25/155

भोपाल दिनांक 20/01/2025

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश